दिनांक 07.08.2016 को उपायुक्त, धनबाद की अध्यक्षता में धनबाद जिला खनिज फाउन्डेशन ट्रस्ट की न्यास परिषद की सम्पन्न बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति – पंजी के अनुसार।

सर्वप्रथम उपायुक्त, धनबाद द्वारा उपस्थित न्यास परिषद के सभी सदस्यों को सम्बोधित करते हुए सूचित किया गया कि धनबाद जिला खनिज फाउन्डेशन ट्रस्ट के तहत प्राप्त राशि से वित्तीय वर्ष 2016–17 में प्राथमिकता के आधार पर ग्राम सभा से पारित पेयजल योजनाओं का चयन किया जाना है।

धनबाद जिला के खनन से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्रों के सर्वेक्षण एवं मैपिंग कराने के उपरान्त कुल 202 पंचायतों में जिला खनिज फाउन्डेशन ट्रस्ट के न्यास परिषद द्वारा सर्व सम्मति से योजना लेने का निर्णय लिया गया।

विचार विमर्श के दौरान धनबाद सांसद प्रतिनिधि श्री लाटा ने बताया कि निरसा प्रखंड हेतु जलापूर्ति की बृहत योजना ली जा रही है, परन्तु निरसा प्रखंड के निरसा म0, भमाल, बैजना, पीठाकियारी आदि ग्राम पंचायतों में ग्रम सभा नहीं हुआ है। उपायुक्त, धनबाद द्वारा पृच्छा किये जाने पर प्रखंड विकास पदाधिकारी, निरसा ने बताया गया कि निरसा प्रखंड के कुछ ग्राम पंचायतों में आम सभा सम्पन्न नहीं हो पाया है। ग्राम सभा से योजना पारित कराने हेतु 15 दिनों का समय की मांग की गयी, जिसे समिति द्वारा स्वीकार किया गया तथा निर्णय लिया गया कि संबंधित ग्राम सभाओं में झारखण्ड खनिज फाउन्डेशन ट्रस्ट नियमावली में निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप योजना के पारित होने के पश्चात् संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से कार्यकारणी समिति को उपलब्ध कराया जायगा ताकि उसे अगले बैठक में शामिल किया जा सके।

धनबाद प्रखंड के सियालगुदड़ी ग्राम पंचायत के मुखिया द्वारा बताया गया कि उनका ग्राम पंचायत बी0 सी0 सी0 एल0 क्षेत्र में है, और बी0सी0सी0एल0 द्वारा पीट वाटर को बाहर फेका जाता है, यदि पीट वाटर को फिल्टर करने की योजना ली जाय तो क्षेत्र की पेयजलापूर्ति की समस्या हल हो जायेगी। उपायुक्त, धनबाद द्वारा उन्हें सुझाव दिया गया कि ग्राम सभा से इस योजना को पारित कर प्रस्ताव भेजे ताकि अग्रेतर की कार्रवाई की जा सके।

बाघमारा प्रमुख द्वारा बताया गया कि ग्राम सभा की सूचना मुखिया द्वारा नहीं दिया जाता है। उपायुक्त, धनबाद द्वारा सभी मुखियाओं को निदेशित किया गया कि ग्राम सभा की तिथि की सूचना 15 दिन पूर्व ही सभी जन प्रतिनिधियों यथा– उप मुखिया, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति, जिला परिषद सदस्यों एवं संबंधित ग्राम के आम जनता को देगें।

उप विकास आयुक्त, धनबाद द्वारा सभी मुखियाओं को कहा गया कि किसी भी प्रस्ताव को पारित करने के लिए ग्राम–सभा की बैठक में ग्राम सभा सदस्यों की संख्या का कम–से–कम 50 प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं का आनुपातिक प्रतिनिधित्व आवश्यक है। उपस्थित सदस्यों में से एक तिहाई महिला सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है। ग्राम सभा में उक्त ग्राम के 50 प्रतिशत प्रतिनिधियों की उपस्थिति आवश्यक है। ग्राम सभा में पारित योजनाओं की सूची के साथ ग्राम सभा की कार्यवाही एवं सदस्यों की उपस्थिति की सूची भी अवश्य भेजी जाय। साथ ही निम्नांकित प्रपत्र में ग्राम से संबंधित सूचना उपलब्ध करायी जाय–

Scanned by CamScanner

ग्राम सभा से संबंधित प्रपत्र

ग्राम सभा के कुल वोटर / सदस्य					ग्राम सभा में उपस्थित सदस्यों की संख्या				
अनु0 जाति	अनु0 जन जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	महिला	कुल	अनु0 जाति	अनु0 जन जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	महिला	कुल

मुखिया, कलियासोल, मड़मा, निरसा म0 द्वारा अपने–अपने ग्रम पंचायतों में पेयजल की योजनायें पारित करने का अनुरोध किया गया। उपायुक्त द्वारा बताया गया कि निरसा, कलियासोल, एग्यारकुण्ड एवं गोविन्दपुर प्रखंड क्षेत्र के लिए ही जलापूर्ति की बृहत योजना ली जा रही है, जिसमें इन प्रखंडों के अधिकांश ग्राम पंचायत जलापूर्ति से अच्छादित हो जायेगा।

सुभाष तुरी, मुखिया जियलगोड़ा द्वारा बताया गया कि विभिन्न कोलियरियों द्वारा पीट वाटर को नदी, नालों में बहा दिया जाता है, यदि इन वाटरों को तालाबों या बन्द पड़े ओपेन खादानों में खादानों में जमा करा दिया जाय तो इससे उस क्षेत्र के वाटर लेवल में बढ़ोतरी होगी एवं इसका उपयोग मछली पालन, कृषि एवं अन्य घरेलु कार्य के लिए भी हो सकता है। उपायुक्त, धनबाद द्वारा बताया गया कि इस तरह की योजनायें ली जा सकती है, इसे ग्राम सभा से पारित कराकर भेजे।

धर्माबांध मुखिया द्वारा धर्माबांध जलापूर्ति योजना से नीचे टोला में पानी देने की मांग की गयी। उपायुक्त, धनबाद द्वारा नीचे टोला हेतु जलापूर्ति की योजना ग्राम सभा से पारित कराकर भेजने का सुझाव दिया गया।

समिति द्वारा आज की बैठक हेतु तैयार की गयी कार्यवली के अनुसार निम्नांकित प्रस्ताव पारित किये गए:–

(1) <u>योजनाओं का चयन</u>

(i) ग्राम सभा द्वारा पारित योजनाओं की सूची के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि योजनाओं के लिए प्रस्तावित भूमि का व्यौरा उपलब्ध नहीं है इसके अतिरिक्त प्रस्तावित योजनाओं की अनुमानित प्राक्कलित राशि का भी उल्लेख नहीं किया गया है साथ ही योजना की प्राथमिकता का निर्धारण भी नहीं किया गया है। ग्राम–सभा द्वारा पारित अपूर्ण प्रस्तावों को उपरोक्त विन्दु के आलोक में पुनः सुधार हेतु वापस करने का निर्णय लिया गया। जनप्रतिनिधियों के द्वारा अनुशंसित प्रस्तावों को संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से ग्राम पंचायत के मुखिया को ग्राम –सभा की प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु वापस करने का निर्णय लिया गया ।

(ii) <u>पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल सं0–1 द्वारा प्रस्तावित योजना</u> – पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल सं0–1 द्वारा प्रस्तावित योजनाओं को मार्गदर्शिका के अनुसार वांछित प्रक्रिया पूरी नही होने के कारण पुर्नविचार हेतु ग्राम–सभा को वापस करने का निर्णय लिया गया।

(iii) <u>पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल सं0–2 द्वारा प्रस्तावित योजना–</u>

क्र0	प्रखंड	योजना का नाम	श्रोत	आबादी	अनुमानित प्रा0 राशि (लाख में)
1	बाघमारा	महुदा बस्ती एवं आसन्न ग्राम की जलापूर्ति योजना पुर्नगठन कार्य	दामोदर नदी	12976	1040.10
2	बाघमारा	सिनीडीह ग्रामीण जलापूर्ति योजना	खनन पीट	7652	770.38
3	बाघमारा	मुराईडीह ग्रामीण जलापूर्ति योजना	खनन पीट	7000	676.14
4	बाघमारा	मलकेरा ग्रामीण जलापूर्ति योजना	खनन पीट	15051	675.70

Scanned by CamScanner

5	बाघमारा	पथल गड़िया ग्रामीण जलापूर्ति योजना का पुनरोद्धार कार्य	दामोदर नदी	6100	522.14
6	बाघमारा	धर्माबांध स्थित खनन पीट में दो अदद मोटर पम्प, पैनल बोर्ड इत्यादि लगाकर जलापूर्ति योजना का सुदृढ़ीकरण कार्य	खनन पीट	6315	14.88
7	बाघमारा	सदरियाडीह ग्रामीण जलापूर्ति योजना अन्तर्गत जमुनिया नदी में निर्मित इंटकवेल मरम्मति एवं दो अदद मोटर पम्प, पैनल बोर्ड बदलकर, जलापूर्ति योजना का सुदृढ़िकरण कार्य।	जमुनिया नदी	1532	23.72
8	बाघमारा	कतरास शहरी जलापूर्ति योजना अन्तर्गत राहुल चौक कतरास से क्लीयर वाटर सम्प कतरास कॉलेज तक 400 एम0एम0 व्यास के राईजिंग एवं वितरण प्रणाली बिछाने का कार्य।	जमुनिया नदी	25000	77.26
				कुलः	3800.32

पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल सं0 –2 द्वारा प्रस्तावित कुल 8 योजनाओं में क्रमांक 1 से 7 तक की योजनायें जिसकी प्राक्कलित राशि 3723.06 लाख रू0 है जो ग्राम–सभा से पारित है, को न्यास परिषद द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया।

(2) दो पट्टाधारियों का मनोनयन

धनबाद जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट की शासी परिषद में जिला के दो प्रमुख पट्टाधारियों को सदस्य के रूप में भारत कोकिंग कोल लि0 एवं टाटा स्टील लि0 दो बड़ी कोयला उत्पादक कम्पनियॉ को नामित करने का निर्णय लिया गया।

(3) ट्रस्ट के कार्यो हेतु वाहन

धनबाद जिला खजिन फाउन्डेशन ट्रस्ट के उपयोग हेतु छोटी व्यवसायिक वाहन की आवश्यकता है । भाड़े पर वाहन की सेवा प्राप्त करने हेतु निविदा आमंत्रित किया गया था, परन्तु एकल निविदा होने के कारण इसे अंतिम रूप नहीं दिया जा सका पुनः इसकी प्रक्रिया जारी है। निविदा के माध्यम से वाहन उपलब्ध होने तक राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित दर पर आवश्यकतानुसार व्यवसायिक वाहन भाड़े पर लेने के प्रस्ताव को न्यास परिषद द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया।

(4) उपस्कारों का क्रय

धनबाद जिला खनिज फाउन्डेशन ट्रस्ट के कार्यो को सुचारू रूप से चलाने हेतु कर्मियों / पदाधिकारियों के बैठने हेतु टेबुल /कुर्सी /अलमीरा /कम्प्यूटर/प्रिंटर आदि के क्रय का प्रस्ताव न्यास परिषद के द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया।

(5) मानदेय के आधार पर कर्मियों की सेवा

धनबाद जिला खनिज फाउन्डेशन ट्रस्ट के कार्यो को सूचारू रूप से संचालित करने हेतु एक लेखापाल–सह–चार्टड एकाउन्टेन्ट, दो लेखा सहायक एवं दो लिपिक–सह–कम्प्यूटर ऑपरेटर को मानदेय पर नियुक्त करने के प्रस्ताव की स्वीकृति प्रदान की गयी।

इसके अतिरिक्त 3 कर्मियों को खनन से प्रभावित क्षेत्रों की Mapping/ presentation तैयार करने हेतु उनकी सेवा ली जा रही है। श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग की अधिसूचना के आलोक में अतिकुशल कर्मियों के लिए 360.00+19.90= 379.90 प्रति दिन मानदेय निर्धारित है , उक्त अधिसूचना के आलोक में सभी 3 कर्मियों को 379.90 प्रति दिन की दर से मानदेय भुगतान करने की स्वीकृति न्यास परिषद के द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया।

Scanned by CamScanner

(6) Integrated village/ Panchayat development Plan

ग्रामीण क्षेत्रों में **Integrated village/ Panchayat development Plan** तैयार करने हेतु **External Agency/NGO** की सेवा लेने के प्रस्ताव को न्यास परिषद द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया।

अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

26/8/2016 — 27/08/2016 — 27/8/16

जिला खनन पदाधिकारी, धनबाद।	उप विकास आयुक्त–सह–सदस्य सचिव,डी0एम0एफ0टी0, धनबाद।	उपायुक्त –सह– अध्यक्ष, डी0एम0एफ0टी0,धनबाद।

26.8.16

ज्ञापांक– 33 दिनांक– 27/08/2016

प्रतिलिपि– सभी संबंधित पदाधिकारियों / न्यास परिषद के सभी सदस्यगण को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

26/8/2016 — 27/08/2016 — 27/8/16

जिला खनन पदाधिकारी, धनबाद।	उप विकास आयुक्त–सह–सदस्य सचिव,डी0एम0एफ0टी0, धनबाद।	उपायुक्त –सह– अध्यक्ष, डी0एम0एफ0टी0,धनबाद।

26.8.16

Scanned by CamScanner